राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1858/2013/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,
जोधपुर
...अपीलार्थी

बनाम

मै0 नागार्जुन कन्सट्रक्शन कं0लि0,
रातानाड़ा, जोधपुर
...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक
....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.08.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा रिमाण्ड के संख्या 13 पुराना अपील संख्या 25/आरएटी/जेयूए/07–08 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2007 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम "** कहा जायेगा) की धारा 29(4) वर्ष 2004–05 के तहत आरोपित मांग के सम्बन्ध में पुनः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म को राजस्थान राज्य सरकार के विभाग से कुल रू.20.63 करोड़ का कार्य संविदा का आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें से उनके द्वारा कुछ कार्य आगे sub-contractor मै. समृद्धी इण्ड्रस्टीज दईजर, जोधपुर एवं ए0 इन्फ्रास्ट्रेक्चर हमीरगढ, भीलवाड़ा को दिया गया जो क्रमशः 3.44 करोड एवं 79.42 लाख की राशि का था। प्रत्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण संविदा कार्य पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया था एवं उनके अवार्डर राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट प्रोजक्ट (RUIDP) द्वारा फर्म को दिये कार्य संविदा के भुगतान के समय स्त्रोत पर कर राशि की कटौती करते हुए एसटी 28 जारी कर दिया गया था। उनके द्वारा कुल रू0 33,70,732/– की कटौती फर्म के भुगतान में से की गयी थी। फर्म द्वारा प्राप्त कार्य संविदा में से जो कार्य sub-contractor को दिया गया था, उनको भुगतान करते वक्त EC Fees के रूप में TDS की कटौती भी कर ली गयी थी जिसकी कुल राशि रू0 7,80,808/– थी जो इनके द्वारा राजकोष में जमा करवायी गयी है। प्रत्यर्थी के कर निर्धारण आदेश में समस्त कार्य संविदा पर EC Fees की गणना करते हुए कुल कार्य संविदा रू0 20.63 करोड़ पर 32.69 लाख की EC राशि आरोपित कर दी गयी एवं इस राशि के विरूद्ध मूल अवार्डर RUIDP द्वारा की गयी कटौती रू0 33,70,732/– का समायोजन दे दिया गया, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपने Sub-contractor के भुगतान में से जो EC Fees के रूप में कटौती करते हुए TDS के रूप में राजकोष में रू0 7,80,808/– जमा कराये गये है उसका समायोजन आदेश में नहीं दिया गया। कर निर्धारण आदेश में टर्न ओवर टैक्स के रूप में रू0 25,150/– का मुक्ति शुल्क आरोपित किया गया।

लगातार.....2

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी को राजस्थान अरबन इन्सफ्रॉट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) अर्वाडर द्वारा राशि रू 20.63 करोड़ के works contract के भुगतान पर स्त्रोंत पर कर राशि कटौती (TDS) राशि रू 33,70,752/– भुगतान में से की गई है। अपीलार्थी द्वारा Sub Contractor मै0 समृद्धि इण्डस्ट्रीज लि0, दईजर, जोधपुर को राशि रू 3.44 करोड़ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर हमीरगढ़, भीलवाड़ा को राशि रू 79.42/– लाख का कुछ कार्य आगे दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा Sub-contractor को भुगतान करते समय Ec fees की गणना करते हुए कुल कार्य संविदा राशि रू0 20.63 करोड़ पर राशि रू 32. 69 लाख की EC फीस आरोपित कर कटौती राशि रू0 33,70,732/– का समायोजन दे दिया गया परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपने Sub-contractor के भुगतान में से जो EC फीस के रूप में टी.डी.एस के रूप में कटौती करते हुए राजकोष में जमा राशि रू 7,80,808/– का समायोजन नहीं दिया। साथ ही टर्न ओवर टैक्स के रूप राशि रू 25.150/– का मुक्ति शुल्क आरोपित किया हैं। उक्त दोनों बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने Subcontract को भुगतान के समय TDS कटोती राशि बाद जॉच अपीलार्थी को रिफण्ड करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है व टर्न ओवर टैक्स अपास्त किया है। अपीलार्थी विभाग द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्व यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

5. प्रत्यर्थी का मुख्य कथन है कि Sub-contractor को भुगतान के समय अवार्डर के रूप में Sub-contractor की राशि में से टी.डी.एस कटोती त्रुटिपूर्ण है क्योंकि स्वयं अपीलार्थी ई.सी. धारक था, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा Sub-contractoI में Sub-contractor का टर्नओवर कर मुक्त था। Sub-contractor द्वारा इस कटौती पर मुजरा नहीं लिया गया है, अतः अपीलार्थी को रिफण्ड देय हैं। अपीलार्थी ने टर्न ओवर टैक्स आरोपण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 22STC162 के आलोक में विधि विरूद्ध बताया है।

विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी को किये गये भुगतान में से अवार्डर द्वारा TDS कटौती राशि रू 33,70,732/– की गई हैं। प्रत्यर्थी Works-Contractor द्वारा Sub-contractors को किये गये भुगतान में से टी.डी.एस. कटौती राशि रू 7,80,808/– रू0 की गई है। Works-Contracto के मामलों में यदि Works-Contractor द्वारा EC fees का विकल्प लिया गया है तो राजस्थान मूल्य परिवर्धि कर नियम, 2006 के नियम 22A(6) के प्रकाश में Sub-Contractor के turnover पर करारोपण नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने बाद **जॉच व दोहरा करारोपण राजकोष में जमा होने के सत्यापन** सहित निर्देशों के साथ रिफण्ड का आदेश दिया है जो विधि सम्मत हैं।

6. जहॉ तक टर्न ओवर टैक्स राशि रू 25,150/– का बिन्दु हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 22 STC 162 के प्रकरण में टर्न ओवर टैक्स के रूप में विमुक्ति शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यर्थी स्वयं द्वारा विमुक्ति शुल्क अदा करने से वह कर मुक्ति की श्रेणी में था।

लगातार.....3

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.05.2013 यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य